बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

वृहस्पतिवार, तिथि १९ सितम्बर १९६३।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में तिथि १९ सितम्बर १९६३ को पूर्वाह्न ९ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers.

सभा नियमावली के नियम ८९ के अनुसार प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा-मेज पर रखा जाना।

श्री भोला पासवान—महाशय, मैं तृतीय बिहार विधान-सभा के चतुर्थ सत्र (फरवरी-अप्रील) १९६३ ई० के शेष ४४४ अतारांकित प्रश्नों में से ५६ प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा की मेज पर रखता हूं।

अल्प-सूचित प्रश्न ५ के संबंध में।

*श्री अम्बिका सिंह—इस प्रश्न के जवाब आये हैं लेकिन संतोषजनक नहीं है इसलिए मैं इसका उत्तर अगले दिन दे दूंगा।

श्री जनार्दन तिवारी—बहुत दिनों से यह प्रश्न पड़ा हुआ है। अधिवर्शक को ये बचाना चाहते हैं।

श्री अम्बिका सिंह—मेरा प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य अंगुली नहीं दिखा सकते हैं।

अध्यक्ष—अंगुली दिखाना ठीक नहीं है।

श्री जनार्दन तिवारी—माननीय मंत्री भी अपने को तैयार रखें।

श्री अम्बिका सिंह—मैं ठीक हूं। कहिये तो जो जवाब आया है उसको पढ़कर सुना दूं। मैं चाहता हूं कि संतोषजनक जवाब दिया जाय और जो जवाब आया है उसको सही तरीके से दिया जाय।

अध्यक्ष—समय की सीमा होनी चाहिए।

*देखिए परिशिष्ट २।

श्री बदरीनाथ वर्मा—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(३) श्री सूरज प्रसाद, पुरानी बाजार तथा श्री सीताराम, मेन रोड, नवादा के जमानत के रुपये जो राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट में जमा थे—वापस कर दिये गये हैं। श्री रामेश्वर लाल (पुत्र श्री बसे लाल, पुरानी बाजार) से रुपया वापस लेने का आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । उनका आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर जमानत के रुपयों की वापसी के लिये उचित कारवाई की जायेगी ।

देशद्रोहियों के प्रति सरकार को जागरूक रहने की मांग ।

१८७ । श्री जगदम्बी प्रसाद यादव—क्या मंत्री, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि बिहार एवं नेपाल की सीमा मिलती है ;

(२) क्या यह बात सही है कि इसी प्रांत से नेपाल को मिट्टी तेल भेजा जाता है ;

(३) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार की असावधानी के कारण देश-द्रोहियों ने मिट्टी तेल नेपाल द्वारा तिब्बत होते हुए चीन भेजा है ;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उन देश-द्रोहियों का पता लगाकर दण्डित करना चाहती है ; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बदरीनाथ वर्मा—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) नेपाल को मिट्टी का तेल, तेल कम्पनियों द्वारा, सीधे भेजा जाता है, परन्तु इस राज्य के सीमावर्ती बजारों से भी नेपाल के निवासी मिट्टी का तेल खरीद कर अबतक ले जाते रहे हैं ।

(३) राज्य सरकार को ऐसी सूचना नहीं है ।

(४) प्रश्न के खंड (३) के उत्तर के समक्ष यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

गल्ले की ढुलाई ।

१८८ । श्रीमती कृष्णा देवी—क्या मंत्री, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) जिला दरभंगा, थाना सिंगिया में कुसेश्वर स्थान के गल्ले के स्टाकिस्ट के गुदाम तक गल्ला पहुंचाने का ढुलाई-भाड़ा लहेरियासराय सरकारी माल गुदाम से एकमोघाट होकर नदी में नाव द्वारा कहां से कहां तक ले जाने तथा सड़क द्वारा कहां से कहां तक ले आने का भाड़ा सरकार देती है ;

(२) उक्त स्थानों में नदी और सड़क दोनों की अलग-अलग दूरी क्या है ;

(३) सरकार ने उक्त स्थानों की दूरी का प्रमाण-पत्र किस विभाग के किस अभियंता से किस ईस्वी में लिया था ;

(४) १९५२ ई० से १९६२ ई० तक नदी की राह से कितना मन गल्ला एकमीघाट से होकर कुसेश्वर स्थान तक ढुलवाया गया है तथा किस दर से उसकी ढुलाई दी गयी है ?

श्री बदरी नाथ वर्मा—(१) लहेरियासराय से कुसेश्वर स्थान तक खाद्यान्न न तो सड़क द्वारा और न तो नाव द्वारा ही भेजा जाता है, बल्कि कुसेश्वर स्थान के लिये खाद्यान्न हसनपुर रेलवे स्टेशन से राजघाट तक सड़क द्वारा तथा राजघाट से कुसेश्वर स्थान तक नाव द्वारा जाता है ।

(२) हसनपुर रेलवे स्टेशन से राजघाट की दूरी सड़क से ५½ मील और राजघाट से कुसेश्वर स्थान (सिरसिया सखवाघाट, तिलकेश्वर, सुधरेन होते हुए) की दूरी नाव से ४० मील है ।

(३) हसनपुर रेलवे स्टेशन से कुसेश्वर स्थान की दूरी का प्रमाण-पत्र जिला अभियंता, दरभंगा द्वारा १९५५ ई० में दिया गया था।

(४) एकमीघाट होकर लहेरियासराय से कुसेश्वर स्थान तक कुछ भी गल्ला नहीं भेजा गया था। परन्तु हसनपुर रेलवे स्टेशन से निम्नलिखित मात्रा में गल्ला भेजा गया था :—

वर्ष ।	हसनपुर से कुसेश्वर स्थान भेजे गये गल्ले का परिमाण ।
	मन ।
१९५२	१,८००
१९५३	३,०५०
१९५४	१५,९२८
१९५५	४२,३७३
१९५६	३२,८६२
१९५७	११,२४२
१९५८	४१,८८०
१९५९	११,४४१
१९६०	४,५२५ (क्वीन्टल)
१९६१	४६ (क्वीन्टल)
१९६२	४,०१६ (क्वीन्टल)

इसके अतिरिक्त १९५६ तथा १९५७ के वर्षा ऋतु में क्रमशः ५,६७१ मन तथा २५,२६५ मन सलौना से कुसेश्वर स्थान भेजा गया था। सलौना से बहादुरपुर घाट

की दूरी सड़क द्वारा ३ मील तथा महादुरपुर घाट से कुसेश्वर स्थान की दूरी नाव द्वारा ५७ मील के लिये परिवहन शुल्क का भुगतान किया गया है । परिवहन शुल्क की दर निम्न प्रकार थी :—

अवधि ।	दर ।
२१ जून १९५३ से	सूखा ऋतु में सड़क द्वारा एक आना प्रति मन प्रथम मील के लिये तथा पांच पाई प्रति मन अन्य मील के लिये । वर्षा ऋतु में सड़क द्वारा दस पाई प्रति मन प्रति मील । नाव द्वारा एक आना प्रति मन प्रति मील ।
२३ अक्तूबर १९५४ से	नाव से आठ पाई प्रति मन प्रति मील ।
३१ अगस्त १९५५	सड़क से ९ पाई प्रति मन प्रति मील । ६ पाई प्रति मन प्रति मील सूखा ऋतु में ।
३१ जून १९५६ से ३० जून १९५७	सड़क से ४ पाई प्रति मन प्रति मील सूखा ऋतु में । २ पाई प्रति मन प्रति मील वर्षा ऋतु में । नाव से ६ पाई प्रति मन प्रति मील वर्षा ऋतु में ।
१ जुलाई १९५७ से	सड़क से २ न० पै० प्रति मन प्रति मील सूखा ऋतु में १ न० पै० प्रति मन प्रति मील वर्षा ऋतु में । नाव से ३ न० पै० प्रति मन प्रति मील वर्षा ऋतु में ।
१९५९	सड़क से ४ न० पै० प्रति मन प्रति मील । नाव से ३ न० पै० प्रति मन प्रति मील ।

१९६०, १९६१ तथा १९६२ में साहाय्य विभाग का खाद्यान्न भेजा गया था ।

श्री मुन्द्रिका सिंह पर गल्ला बेचने का आरोप ।

१८९ । श्री कमलेश राय—क्या खाद्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री मुन्द्रिका सिंह, ग्राम वान्दे अंचल गोरौल (मुजफ्फरपुर) में ग्राम पहाड़पुर, वान्दे और करहरी में सस्ते गल्ले की दूकान अलग-अलग तीन आदमी के नाम से फर्जी लिये हुए हैं, और श्री मुन्द्रिका सिंह तीनों दूकान का गल्ला उठाते हैं और ग्राम में नहीं बेचकर बाहर के बाजार में थोक बेच देते हैं ;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री मुन्द्रिका सिंह ने अभीतक ५ हजार मन गल्ला हाजीपुर गोदाम से लेकर चोर बाजार में बेच चुके हैं ;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो श्री मुन्द्रिका सिंह के विरुद्ध सरकार कौन-सी कार्रवाई करने को सोचती है ; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बदरीनाथ वर्मा—(१) श्री मुन्द्रिका सिंह, ग्राम वान्दे, अंचल गोरौल के नाम पर सस्ते गल्ले की कोई दूकान नहीं है । श्री मौलेलाल सिंह के नाम पर एक सस्ते